13/5/2024

पत्रा॰ पेश हुई। वकु॰ उप॰। हमने उभयपक्षकारान विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील के उप॰ रहे कि प्रार्थना पत्र में अंकित ख॰ नं॰ 332, 403, 404 वाके ग्राम चैनपुरा में स्थित है। प्रार्थिया का बचपन में मुंहबोला नाम असरफी था। प्रार्थिया के पिता एवं पति की मृत्यु के बाद विरासत का दाखिला खुलवाते समय प्रार्थिया का नाम असरफी नाम राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी में अंकित हो गया। अतः प्रार्थिया का शैक्षणिक दस्तावेजात में जयदेई है। अतः प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में असरफी के स्थान पर जयदेई अंकित किये जाने की कृपा करें।

हमने बहस को सुना गया। उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट असरफी पुत्री मिट्ठीलाल का शुद्ध नाम जयदेई पुत्री मिट्ठीलाल है। अतः उक्त खसरा नं॰ 332, 403, 404 वाके ग्राम चैनपुरा में खातेदार असरफी पुत्री मिट्ठीलाल के ~~नाम~~ स्थान पर जयदेई पुत्री मिट्ठीलाल दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम जयदेई है अतः प्रार्थिया का नाम जयदेई पुत्री मिट्ठीलाल किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम असरफी के स्थान पर जयदेई [illegible] किया जावे। उक्तानुसार तहसीलदार, नदबई द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] जावे। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/5/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:40:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner